(स्थापित–1996)

PROSPECTUS

वीराङ्गना महारानी लक्ष्मीबाई
राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)

(बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से सम्बद्ध परास्नातक राजकीय शिक्षण संस्थान)

प्रवेश विवरणिका

(आवेदन पत्र सहित)

बी.ए., बी.कॉम. एवं एम. ए.
(हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र
शिक्षाशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र) में प्रवेश हेतु

Accredited by NAAC with 'B' Grade

Included under section 2(f) and 12 (B) of UGC Act, 195

वीराङ्गना महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी

Website :ggdcjhansi.org.in
Email :vmlbggdc@gmail.com

संक्षिप्त परिचय

प्रदेश के महानगरों के उच्च शिक्षा केन्द्रों में प्रवेशार्थियों की उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा झाँसी नगर में छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालय खोलने का शासनादेश संख्या–1978/15–17–96–70 (61) / 96, दिनांक 19/06/1996 निर्गत किया गया। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला एवं वाणिज्य संकाय की कक्षायें आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई। तदुपरान्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र की छात्राओं का परास्नातक शिक्षा ग्रहण करने के प्रति प्रवृत्ति को देखते हुए उ.प्र. सरकार द्वारा महाविद्यालय में कला संकाय में परास्नातक कक्षाओं के संचालन हेतु शासनादेश सं०–169/सत्तर –5–2016–70 (32)/2014 : लखनऊ, दिनांक 14/01/2016 निर्गत किया गया।

यह महाविद्यालय बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। वर्तमान में महाविद्यालय में **B.A.** (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, संगीत (गायन), अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा एवं मनोविज्ञान), **B.Com.** एवं **M.A.** (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास एवं राजनीतिशास्त्र) की कक्षायें संचालित है। महाविद्यालय **UGC** एक्ट–1956 के **12 (B)** एवं **2 (f)** सेक्शन के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। महाविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (**NAAC**) द्वारा मूल्यांकित एवं **B** ग्रेड प्राप्त है।

महाविद्यालय में आठ शिक्षण कक्ष, एक कम्पयूटर कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, छात्रा सामान्य कक्ष, क्रीड़ाकक्ष एन.एस.एस. कक्ष, परीक्षा कक्ष, प्राध्यापक कक्ष, वाचनालय, सभागार के अतिरिक्त गृह विज्ञान एवं संगीत की सुसज्जित प्रयोगशाला है।

विविध विषयों में निष्ठावान् विद्वज्जनों से सुसज्जित यह महाविद्यालय दिन–प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रतिमान स्थापित कर रहा है। महाविद्यालय की छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न सह–शैक्षणिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। जिनके माध्यम से छात्राओं को देश की सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली विरासत एवं बदलते सामाजिक परिवेश से परिचित कराया जाता है। छात्राओं की बौद्धिक कुशलता के विकास हेतु नियमित शिक्षण के साथ–साथ विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय महत्त्व के समसामाजिक विषयों पर परिचर्चायें, राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, प्रसार–व्याख्यान आदि की व्यवस्था की जाती है। विभागीय एवं सांस्कृतिक परिषद् के तत्त्वावधान में छात्रायें भाषण, निबन्ध लेखन, कविता लेखन, वाद–विवाद, पोस्टर निर्माण आदि के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं। महाविद्यालय में छात्राओं के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एन.एस.एस. इकाई के माध्यम से छात्राओं में देश व समाज के प्रति सेवाभाव की प्रेरणा दी जाती है। अनुशासन समिति विद्यार्थियों को अनुशासित कर, आत्मानुशासन के लिए प्रेरित करती है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही महाविद्यालय ने शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की है।

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

वर्तमान में महाविद्यालय में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा निर्धारित कला एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत निम्न विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है –

कला संकाय

स्नातक स्तर (**B.A.**) – 1) हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)
2) संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)
3) अंग्रेजी साहित्य (English Literature)
4) इतिहास (History)
5) राजनीतिशास्त्र (Political Science)
6) समाजशास्त्र (Sociology)
7) अर्थशास्त्र (Economics)
8) शिक्षाशास्त्र (Education)
9) संगीत (गायन) (Music Vocal)
10) गृहविज्ञान (Home Science)
11) मनोविज्ञान (Psychology)
12) शारीरिक शिक्षा (Physical Education)

परास्नातक स्तर (**M.A.**) – 1) अंग्रेजी साहित्य (English Literature)
2) हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)
3) शिक्षाशास्त्र (Education)
4) इतिहास (History)
5) राजनीतिशास्त्र (Political Science)
6) समाजशास्त्र (Sociology)

वाणिज्य संकाय

स्नातक स्तर (**B.Com.**) I - सभी अनिवार्य
II - सभी अनिवार्य
III - अनिवार्य

CORPORATE ACCOUNTING
AUDITING
MARKETING MANAGEMENT
MANAGEMENT ACCOUNTING

ऐच्छिक (इनमें से कोई दो)

1. INDUSTRIAL LAW
2. PERSONNEL MANAGEMENT
3. PRODUCTION MANAGEMENT
4. ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION
5. BUSINESS MATH
6. INDIRECT TAX

नोट : 1) बी.ए. – प्रथम वर्ष में प्रवेश समिति द्वारा सीट मैटिक के अनुसार तीन विषयों का आवंटन किया जायेगा।

2) बी.ए. (प्रथम वर्ष) एवं बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) की छात्राओं के लिए पर्यावरण अध्ययन एवं मानवाधिकार अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना तथा इसमें उत्तीर्ण होना उपाधि हेतु अनिवार्य है।

3) बी.कॉम. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में सभी प्रश्नपत्र अनिवार्य हैं।

4) बी.कॉम. तृतीय वर्ष में चार प्रश्न पत्र अनिवार्य व दो ऐच्छिक है जिसकी जानकारी अपने विषय के प्राध्यापक से पूछ कर ही भरें। सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम परिवर्तनीय है इसकी विस्तृत जानकारी अपने प्राध्यापक से प्राप्त करें।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ

1) पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में अध्यापित समस्त विषयों की पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय में है। छात्रायें पुस्तकालय से एक बार में दो पुस्तकें प्राप्त कर सकती हैं। ये पुस्तकें उन्हे 14 दिन के लिए ही निर्गत की जायेगी। पुस्तकों को समय पर न लौटाने पर प्रति पुस्तक प्रति दिन की दर से एक रूपया अर्थदण्ड देना होगा। पुस्तकों को किसी भी प्रकार की क्षति होने, पृष्ठ गायब करने अथवा खो जाने पर उसकी पूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित छात्रा का होगा। प्रत्येक छात्रा को परीक्षा से पूर्व पुस्तकें जमा करना अनिवार्य होगा। सन्दर्भ ग्रन्थ यथा शब्दकोष, विश्वकोष आदि का निर्गमन किसी छात्रा को नहीं किया जायेगा।

पुस्तकालय से संलग्न एक वाचनालय है, जिसमें छात्राओं को शोध पत्र–पत्रिकाओं, विविध विषयक पत्रिकाओं, विविध मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक पत्र–पत्रिकाओं को पढ़ने की व्यवस्था हैं। छात्रायें अपने रिक्त वादन में पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय में बैठकर ही पढ़ सकती हैं। पत्र–पत्रिकाओं को कक्षा में ले जाने अथवा परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है। पत्र–पत्रिकाओं का निर्गमन किसी भी छात्रा को नहीं किया जायेगा।

2) कम्प्यूटर कक्ष :

महाविद्यालय में सभी सुविधाओं से युक्त एक कम्प्यूटर कक्ष उपलब्ध है। जो छात्रायें पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध है।

3) छात्रा सामान्य कक्ष :

महाविद्यालय में छात्राओं हेतु सामान्य कक्ष की व्यवस्था है।

4) प्रयोगशाला :

महाविद्यालय में गृहविज्ञान विषय की विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला उपलब्ध है।

5) वाहन स्टैण्ड :

महाविद्यालय द्वारा छात्राओं के वाहनों को खड़ा करने हेतु स्थान निश्चित किया गया है, जहाँ छात्राओं द्वारा वाहन खड़ा किया जाना अनिवार्य है। छात्राओं के लिए महाविद्यालय प्रांगण में वाहन चलाना एवं उसको अन्यत्र खड़ा करना पूर्णतया वर्जित है।

6) परीक्षा :

महाविद्यालय के समस्त पंजीकृत छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, जो छात्रायें परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगी, उनको अनुत्तीर्ण मानकर पुनः महाविद्यालय में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा। महाविद्यालय में समय–समय पर सम्बंधित विषयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षा/टेस्ट लिये जाते हैं।

7) महाविद्यालय पत्रिका :

छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से महाविद्यालय पत्रिका प्रत्येक सत्र में प्रकाशित की जाती है, जिसके द्वारा छात्राओं को अपने बौद्धिक विकास, पत्रकारिता व लेखन कला की प्रेरणा प्राप्त होती है। छात्रायें अपने प्रवेश के बाद से ही अपनी मौलिक रचनायें, कवितायें, कहानी, लेख आदि अपने विषय के किसी प्राध्यापक को उपलब्ध करा दें।

8) परिचय पत्र :

मुख्य शास्ता (**Chief Proctor**) एवं प्राचार्य द्वारा सत्यापित सम्बंधित शैक्षिक सत्र हेतु मान्य परिचय पत्र प्रत्येक छात्रा को दिया जाता है। परिचय–पत्र प्रत्येक समय छात्रा के पास रहना अति आवश्यक है। परीक्षा में प्रवेश लेने, प्रमाण पत्रादि प्राप्त करने, पुस्तकालय कार्ड व पुस्तकें प्राप्त करने अथवा किसी भी उत्सव/अवसर पर महाविद्यालय अधिकारी/प्राध्यापकों द्वारा

मांग करने पर छात्राओं द्वारा परिचय पत्र प्रस्तुत करना अति अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

9) शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग :

महाविद्यालय में छात्राओं के शारीरिक विकास हेतु विभिन्न खेलों यथा – क्रिकेट, बैडमिन्टन, वॉलीबॉल, टेबिल टेनिस, प्रक्षेप (भाला, गोला एवं चक्का) दौड़ आदि की व्यवस्था है। सभी खेलों एवं क्रीड़ाओं का संचालन महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक द्वारा होता है। प्रत्येक सत्र में वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है। उत्तम खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा जाता है। विजयी प्रतियोगियों एवं दक्ष खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।

10) राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) :

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाई कार्यरत है एक इकाई में 100 छात्रायें होती है। जिसका मूल उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र के युवाओं को प्रशिक्षित कर उनमें शारीरिक श्रम के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर, भारतीय ग्रामीण समुदायों की समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से छात्राओं के मध्य विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के सम्बंध में जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से अनेक कार्यक्रमों जैसे सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण चेतना, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता, पोलियों प्रतिरक्षण, एड्स जागरूकता, मतदाता जागरूकता आदि का संचालन किया जाता है। इसकी सामान्य गतिविधि कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष में 120 घण्टे समाज सेवा करनी होती है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत एक वर्ष में एक सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है जो किसी स्थान विशेष पर दिन व रात का होता हैं, जिसमें भाग लेने वाले छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जाता है। इच्छुक छात्रायें राष्ट्रीय सेवा येाजना के कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सकती हैं।

11) रेंजर्स

जीवन में एकता, सहयोग, सेवा तथा अनुशासन जैसे मानवीय गुणों के विकास के लिए महाविद्यालय में रेंजर दल का गठन किया जाता है। रेंजर्स दल का उद्देश्य छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास करके उनमें परस्पर प्रेम, सहयोग, अनुशासन तथा नेतृत्व की भावना भरकर सेवा कार्य के लिये प्रेरित करना है, जिससे इसके आदर्श वाक्य ''सेवा करो'' को साकार किया जा सके। छात्रायें रेंजर दल का सदस्य बनकर लाभ उठा सकती हैं। रेंजर्स की 2 दल पंजीकृत है।

12) छात्रा कल्याण परिषद् (छात्रवृत्तियाँ एवं शुल्क मुक्ति)

छात्राओं के हितों के अनुरक्षण के लिए महाविद्यालय में छात्रा कल्याण परिषद् का गठन किया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जाति एवं आय के आधार पर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक विकलांग, निर्धन एवं योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय की आर्थिक दृष्टि से कमजोर मेधावी छात्राओं की सहायतार्थ ''निर्धन छात्रा सहायता कोष'' की भी व्यवस्था है, जिसमें से नियमानुसार शुल्क मुक्ति सुविधा प्रदान की जाती है।

13) महिला प्रकोष्ठ :

छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ गठित किया गया है।

14) रोजगार सूचना एवं परामर्श परिषद् :

छात्राओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में कैरियर काउन्सिल (रोजगार एवं परामर्श परिषद्) उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत रोजगार सम्बंधी पत्र–पत्रिकाओं के अतिरिक्त शासकीय विभागों से प्राप्त सूचनायें उपलब्ध कराई जाती हैं। समय–समय पर रोजगार उपलब्ध कराने सम्बंधी परामर्श शिविरों का आयोजन कराया जाता है।

15) सांस्कृतिक एवं विभागीय परिषद् :

शिक्षणेत्तर गतिविधियों में छात्राओं की रूचि जागृत करने व उनके अन्दर छिपी प्रतिभाओं के समुचित विकास के लिए महाविद्यालय में एक सांस्कृतिक एवं विभागीय परिषदों को भी गठन किया जाता है। यह परिषद् सम्पूर्ण सत्र में वाद–विवाद, कविता, कहानी व निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, वाक् प्रतियोगिता आदि का आयोजन करती रहती है। इसमें कोई भी छात्रा भाग ले सकती है। अन्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से उक्त प्रतियोगिताओं के लिए आये आमंत्रण पर परिषद् प्रतिभावान छात्रों का चयन कर उन्हें इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करती है। वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में ऐसी स्थान प्राप्त छात्राओं को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत किया जाता है।

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष विभिन्न राष्ट्रीय पर्वो एवं अन्य समारोहों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है। स्वाधीनता दिवस, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती, हिन्दी दिवस, मानवाधिकार दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, कौमी एकता दिवस,युवा सप्ताह, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आदि प्रमुख हैं। महाविद्यालय की छात्रायें इन समारोहों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। विभिन्न विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है।

16) अनुशासन परिषद् :

छात्रों में आत्मसंयम, अनुशासन एवं शिष्टाचार की भावना का विकास करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में एक अनुशासन परिषद् है, जिसका संयोजक मुख्य शास्ता (चीफ प्रोक्टर) होता है। यह परिषद् अनुशासन के सभी मामलों में प्राचार्य को अपनी संस्तुति देती है तथा महाविद्यालय परिसर में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने में प्राचार्य को अपना सहयोग देती है।

एन.सी.सी. :

महाविद्यालय में एन.सी.सी. 110 छात्राओं की एक यूनिट स्वीकृत है।

आचरण संहिता

1) महाविद्यालय में रेगिंग पूरी तरह प्रतिबन्धित है। यदि कोई भी छात्रा रेगिंग करते पायी जायेगी तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2) प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय में गणवेश में आना अनिवार्य है।

3) प्रत्येक छात्रा प्रतिदिन महाविद्यालय में अपने परिचय–पत्र के साथ उपस्थित होगी तथा प्राचार्य अथवा शास्ता मण्डल द्वारा मांगे जाने पर परिचय–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4) छात्राओं का बाहरी व्यक्तियों को परिसर में लाना एवं उसके साथ घूमना दण्डनीय अपराध है। उक्त नियम का पालन न करने पर सम्बन्धित छात्रा के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5) छात्रायें दलगत राजनीति में भाग नहीं लेगी तथा बिना प्राचार्य की अनुमति के परिसर में किसी प्रकार की सभा/गोष्ठी का आयोजन नहीं करेंगी।

6) सभी छात्रायें महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, प्रयोगशाला आदि का रख–रखाव एवं स्वच्छता बनाये रखने हेतु विशेष ध्यान देंगी। परिसर में लगे पेड़–पौधों को नुकसान पहुँचाना, दीवारों व कक्षाओं को गन्दा करना या उन पर कुछ लिखना दण्डनीय है।

7) महाविद्यालय परिसर में वाहन चलाना, अस्त्र–शस्त्र लाना, धूम्रपान करना, मोबाइल का प्रयोग करना एवं उच्च स्वर में बातें करना दण्डनीय एवं वर्जित है।

8) अपने सहपाठियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें।

9) कोई भी छात्रा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण एवं शान्ति व्यवस्था विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेगी।

नोट : उपर्युक्त आचरण संहिता का छात्राओं द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में सम्बधित छात्रा के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्रा का ही होगा।

आवेदन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1) प्रवेश हेतु छात्राओं को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की वेबसाइट **http://admission.bujhansi.ac.in** पर अपना रजिस्ट्रेशन/आवेदन करना होगा, तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ऑनलाइन मैरिट में जिन छात्राओं के नाम महाविद्यालय की मेरिट में होंगे, केवल उन्ही को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में प्रवेश दिया जायेगा।

2) प्रवेशार्थी महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र (रू. 50/– शुल्क सहित) प्राप्त कर सकते हैं।

3) प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र अभ्यर्थी को स्वयं भरना होगा। आवेदन–पत्र अपूर्ण अथवा अशुद्ध होने पर निरस्त कर दिया जायेगा।

4) पूर्ण रूप से भरे आवेदन–पत्र के साथ प्रवेशार्थी को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।

5) छात्रा द्वारा चयनित किये जा रहे विषयों में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रवेशार्थी को वही विषय/ग्रुप दिया जाये जो उसके आवेदन–पत्र में भरा हो। इस हेतु यू.जी.सी./विश्वविद्यालय नियमों का पालन करते हुए मेरिट के आधार पर विषयवार छात्रा संख्या का निर्धारण किया जायेगा।

6) छात्राएं विषय/विषय ग्रुप का चयन सोच समझकर करें। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश के समय दिये गये विषयों में बाद में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

आवेदन–पत्र से साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित (**Self Attested**) छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है–

1. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका और प्रमाणपत्र की छाया प्रति।
2. पूर्ववर्ती कक्षाओं की अंकतालिकाओं की छायाप्रति (**B.A./B.Com.** द्वितीय एवं तृतीय वर्ष **M.A.** प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की छात्राओं हेतु)।
3. अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की मूलप्रति।
4. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की मूलप्रति।
5. आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
6. खेलकूद/एन.सी.सी. सम्बंधी प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति।
7. विकलांग/स्वतंत्रता सेनानी सम्बंधी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
8. आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र (**Voter ID**) की छाया प्रति।

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं परास्नातक द्वितीय वर्ष के प्रवेशार्थी अर्ह परीक्षा की अंकतालिका प्राप्ति के बाद निर्धारित आवेदन–पत्र एवं आवश्यक प्रमाण–पत्र सहित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कर अपना प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।

प्रवेशार्थी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सूचनाओं को आवश्यक रूप से भलीभांति जाँच लें। किसी भी सूचना के असत्य पाये जाने पर छात्रा का प्रवेश निरस्त कर नियमानसुार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए छात्रा स्वयम् उत्तरदायी होगी।

महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियमावली

1) प्रवेश सम्बन्धी मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि तक अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करा कर शुल्कादि जमा नहीं करेंगे तो उनका प्रवेश पाने का अधिकार स्वत: निरस्त हो जाएगा।

2) अधोलिखित कारणों से किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश वर्जित होगा और यदि भूलवश प्रवेश दे भी दिया गया हो तो निरस्त हो जाएगा –

   क) इस महाविद्यालय में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार का दोषी होना।

   ख) अन्य विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निष्कासन या प्रवेश की अस्वीकृति।

   ग) विद्यार्थी पर आई.पी.सी. (भारतीय दण्ड विधान) अथवा सी.आर.पी.सी. धाराओं के अन्तर्गत कोई मुकदमा होना अथवा मॉरल टर्पीट्यूड जुर्म के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना अथवा किसी शिक्षक, छात्र अथवा अन्य कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के कारण निष्कासित किया जाना।

   घ) अन्य कोई कारण जो महाविद्यालय के प्राचार्य/अनुशासन अधिकारी की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण हो।

3) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के नियमानुसार महाविद्यालय के प्राचार्य को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वे संस्था के व्यापक हित में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन–पत्र बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकते हैं।

4) संयोजक प्रवेश–समिति योग्यता सूची में स्थान पाने वाले प्रवेशार्थियों की सम्बंधित विषय में प्रवेश हेतु पात्रता की जांच करेंगे। प्रवेशार्थियों के समस्त मूल प्रमाण–पत्रों तथा टी.सी. एवं सी.सी. की जांच करने के उपरान्त ही प्रवेश की संस्तुति करेंगे।

5) प्रवेश सम्बंधी किसी भी त्रुटि के लिये महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। त्रुटि को किसी भी स्तर पर सुधारने का अधिकार प्राचार्य को प्राप्त है।

6) यदि कोई छात्रा अनुशासनहीनता की दोषी पायी जाती है तो प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा कि वे अनुशासन विभाग की संस्तुति पर ऐसी छात्रा का प्रवेश बिना कोई कारण बताये व बिना कोई जांच कराये तथा बिना स्पष्टीकरण मांगे निरस्त कर सकते हैं।

7) शासन द्वारा किसी विषय में शिक्षक की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उस विषय के अध्ययन का उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रशासन का नहीं होगा।

8) विश्वविद्यालय स्तर की किसी भी समस्या जैसे परीक्षाफल घोषित न होना, परीक्षा प्रवेश–पत्र प्राप्त न होना, परीक्षा केन्द्र बदलना, अंकतालिका न आना या दोषपूर्ण होना तथा परीक्षाओं के देरी से आयोजन कराए जाने के लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त समस्याओं का निराकरण विश्वविद्यालय स्तर पर छात्राओं के व्यक्तिगत प्रयासों से ही सम्भव हो सकेगा। महाविद्यालय केवल आवेदन–पत्र अग्रसारित कर सकता है।

9) प्रवेश लेने की इच्छुक सभी छात्राओं का यह उत्तरदायित्व है कि वे इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं से पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही प्रवेश लें। प्रवेश पाने के उपरान्त किसी ऐसी सुविधा की मांग पर विचार नहीं किया जायेगा जो वर्तमान में महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है।

10) प्रत्येक छात्रा का दायित्व है कि विश्वविद्यालय परीक्षाएँ प्रारम्भ होने से 10 दिन पूर्व तक अपनी समस्त देयताओं जैसे शुल्क, पुस्तकालय की पुस्तकें, प्रयोगशाला एवं क्रीड़ा विभाग की कोई सामग्री इत्यादि का भुगतान करके अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें ताकि प्रवेश–पत्र प्राप्त करने में सुगमता रहे।

11) किसी भी कार्य (यथा–पंजीकरण, विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म, शुल्क जमा करना इत्यादि) की तिथि निकल जाने के बाद सम्बन्धित कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु तिथि का शिथिलीकरण नहीं किया जा सकेगा।

12) सामान्यतः प्रवेश एवं पंजीकरण का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।

13) प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का स्वयम् उपस्थित होना आवश्यक है।

14) पूर्ववर्ती कक्षा में जिन छात्राओं की उपस्थिति/व्यवहार/गतिविधियां सन्तोषजनक नहीं रही है उन छात्राओं का प्रवेश उच्चतर कक्षा में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

15) प्रवेश के पश्चात् यदि कोई छात्रा किसी कारण से विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होती हैं, तो वह पुनः प्रवेश की अधिकार नहीं होगी।

16) यदि कोई छात्रा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन करती है और उसे समय से उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाता है, तो उसे अगले सत्र में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।

17) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) प्राप्त कर लेने के पश्चात् पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

18) नियमों के विरुद्ध प्रवेश हेतु दबाव डालना पात्रता के प्रतिकूल समझा जायेगा।

उपस्थिति

1) कक्षाएं प्रारम्भ होने पर विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक छात्रा को प्रत्येक विषय की कक्षा में प्रवेश पर्ची एवं शुल्क रसीद दिखाकर अपना नाम अंकित करवाना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर सम्बन्धित छात्रा का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

2) छात्राओं द्वारा लिये गये प्रत्येक विषय में पृथक्–पृथक् 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय नियमानुसार ऐसी छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर महाविद्यालय स्तर पर उपस्थिति में छूट दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

3) यदि कोई छात्रा अपने किसी भी विषय की कक्षा में बिना सूचना के निरन्तर 15 दिन तक अनुपस्थित रहती है, तो उसका नाम महाविद्यालय से पृथक् किया जा सकता है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्रा का होगा।

4) उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से ही की जायेगी, चाहे प्रवेश किसी भी तिथि में लिया गया हो।

5) छात्रा को अपनी उपस्थिति अपने पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले प्राध्यापक/प्राध्यापिकाओं से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ज्ञात कर लेनी चाहिए, यह उसका स्वयम् का उत्तरदायित्व है।

गणवेश

महाविद्यालय में प्रवेश के 15 दिन के अन्दर छात्राओं को निम्नलिखित निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य होगा –

ग्रीष्म कालीन – निर्धारित कुर्ता (गुलाबी) एवं सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा

शीतकालीन – उक्त गणवेश के साथ नेवी ब्लू कोट/स्वेटर

छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सम्बन्धी नियम

राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग की ऐसी छात्राओं, जिनके पिता/माता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतो से रू० 2 लाख **(GEN/OBC)** एवं 2.5 लाख **(SC/ST)** तक है, को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित प्राविधानों के अनुसार दी जाती है।

छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की समय सारणी निम्नवत है –

1.	छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	समयावधि की सूचना, अखबार, कॉलेज से प्राप्त
2.	छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (निम्नांकित प्रमाणपत्रों के संबंध में) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर

आन लाइन भरे गये छात्रवृत्ति फार्म की एक प्रति महाविद्यालय में निम्नलिखित स्वप्रमाणित संलग्नकों के साथ जमा करें –

1. सभी शैक्षणिक अंकपत्रों एवं प्रमाणपत्रों की छायाप्रति
2. जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं इन्टरनेट से उसका सत्यापन प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं इन्टरनेट से उसका सत्यापन प्रमाण पत्र
4. मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं इन्टरनेट से उसका सत्यापन प्रमाण पत्र
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. शुल्क रसीद की छाया प्रति
7. विश्वविद्यालय पंजीयन रसीद की छाया प्रति
8. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र

ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र करते समय अपने नाम के आगे Shri/Smt/Km न लगाये इससे नाम सर्च करने में दिक्कत आती है।
2. आवेदन पत्र को उपर्युक्त संलग्नकों सहित दो प्रतियों में तैयार करें। उपर्युक्त प्रमाण पत्रों व संलग्नकों सहित आवेदन की एक प्रति स्वयं रखे व मांगने पर प्रस्तुत करें।
3. अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात् एवम् अन्तिम रूप में सम्मिलित करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण सुधार कर लें।

1. हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर।
2. जाति/आय प्रमाण–पत्र का क्रमांक,
3. छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण।
4. वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता।
5. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार।
6. आय प्रमाण–पत्र में अंकित आय,
7. बैंक शाखा का नाम।
8. आई.एफ.एस.सी. कोड
9. खाता संख्या
10. अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि।
11. आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) तदुपरान्त ही छात्रायें अपने आवेदन पत्र को अन्तिम रूपमें जमा करें।

3. सभी छात्रायें अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्रायें यदि साइबर कैफे से आवेदन कर रही हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें। जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ले एवं महाविद्यालय में सम्बन्धित प्राध्यापक/प्राध्यापिका से चैक करा लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें।

4. आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त 3 दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिंट ले सकेंगे। यदि आवेदन पत्रों में जाति/आय प्रमाण पत्र क्रमांक, आय, आधार नंबर तथा हाईस्कूल/इंटरमीडिएट के रोल नंबर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लॉगिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरांत ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (**Submit**) करने हेतु फाइनल प्रिंट ले एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की प्राप्ति अवश्य लें।

5. अनिवार्य वार्षिक शुल्क (**Non Refundable fees**) के कॉलम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।

6. आधार नंबर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से जुड़ा हो, भरना अनिवार्य है। आधार नंबर देने पर उसकी सीडिंग बैंक खाते में करने से **KYC (Know your customer)** पूर्ण हो जाती है। अपनी बैंक शाखा में **KYC (Know your customer)** फॉर्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की राशि आने तक आपका खाता पूर्णरूपेण संचालित रहे ।

7. बचत बैंक खाता संख्या (**CBS**) एवं **IFSC** कोड को भलीभांति जांच ले। बचत बैंक खाता संख्या एवं **IFSC** कोड भरने में जीरो (**0**) और ओ (**O**) अक्षर को विशेष ध्यान से भरें। अपनी बैंक शाखा का सही रूप से चयन करें। गलत बैंक शाखा/खाता संख्या भरने पर पी॰एफ॰एम॰एस॰ के माध्यम से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि आपका खाता संख्या 11 (ग्यारह) अंकों से कम का न हो। खाता संख्या 11 अंकों से कम अंकों का होने पर संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें।

8. अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ बचत बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

9. छात्राएं प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नया आवेदन पत्र भरें। छात्राओं को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफंडेबिल **(Non refundable)** फीस, मोबाइल नंबर, वर्तमान विश्वविद्यालय का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नंबर, बचत बैंक, खाता संख्या, **IFSC** कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्रा आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांकों को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किए गए परीक्षाफल से किया जाएगा।

10. शासकीय **(Govt)** संस्थानों में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार–नियमित **(Regular)** व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें। छात्रा विगत वर्ष से प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।

11. छात्रा मोबाइल नंबर एवं ईमेल **ID** स्वयं ही की दें।

12. वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारणी, प्रदर्शित सूचनाएं एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु **https://scholarship.up.nic.in** पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरंतर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारणी में दी गई समय अवधि का उल्लंघन कदापि ना करें अन्यथा आप छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पाने से वंचित हो सकती हैं। आप अपने प्राध्यापक से हमेशा अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें।

मूल्य : रु. 50/-

क्रमांक 1814

वीराङ्गना महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी

(सम्बद्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी)

प्रवेश आवेदन–पत्र (सत्र : 20..... – 20.....)

Website: www.ggdcjhansi.org.in

नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाएं

1. छात्रा पंजीयन संख्या.....
2. कक्षा (जिसमें प्रवेश लेना है).....
3. चयनित विषय : ....

....

4. जाति:.....
5. श्रेणी/वर्ग: Gen / OBC / SC / ST 6. उपश्रेणी, (यदि कोई हो तो) : अल्पसंख्यक / स्वतंत्रता सेनानी / विकलांग / अन्य
7. प्रवेशार्थी का सामान्य विवरण –

(i) प्रवेशार्थी का नाम (हिन्दी में).....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ii) पिता का नाम श्री..... (iii) माता का नाम श्रीमती.....

(iv) जन्मतिथि | | | | | | | | (उक्त समस्त विवरण हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार ही अंकित करें)

(v) विवाहित/अविवाहित..... (vi) राष्ट्रीयता..... (vii) ब्लड ग्रुप.....

(viii) उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि.....

(ix) पिता/माता का व्यवसाय..... सकल वार्षिक आय.....

(x) पिता/संरक्षक का नाम एवं स्थानीय पता–.....

..... मोबा॰ | | | | | | | | | | |

(xi) स्थाई पता.....

..... पिन कोड | | | | | | मोबा॰ | | | | | | | | | | |

(xii) आधार कार्ड सं॰.....मोबाइल नं. (स्वयं का).....

(xiii) ई–मेल (अनिवार्य): | | मतदाता पहचान पत्र क्रमांक.....

(अपना ई–मेल स्वयं बनाये एवं चेक करें, सभी सूचनायें इसी पर भेजी जायेगी)

8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :

परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	%
हाईस्कूल							
इण्टरमीडिएट							
बी.कॉम/बी.ए. प्रथम वर्ष							
बी.कॉम/बी.ए. द्वितीय वर्ष							
बी.कॉम/बी.ए. तृतीय वर्ष							
एम.ए. पूर्वार्द्ध							

10. क्या आप कभी पूर्व विद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग में दण्डित हुयी हैं यदि हाँ तो विवरण दें–

.....

11. क्या आपके विरूद्ध कभी अनुशासनात्मक/विधिक कार्यवाही की गई है, यदि हाँ तो विवरण प्रस्तुत करें–

.....

12. पूर्व विद्यालय/महाविद्यालय का नाम तथा कब से कब तक शिक्षा प्राप्त की.....

.....

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक जमा करें –

– हाईस्कूल प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
– स्नातक कक्षाओं को अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
– आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
– जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
– इण्टरमीडिएट अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
– अंतिम संस्था से प्राप्त टी.सी. की मूल प्रति
– अंतिम संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाणपत्र की मूल प्रति

प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय संलग्नकों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। साक्षात्कार की तिथि की सूचना महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी।

अभिभावक का शपथ पत्र

मैं यह शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री नैतिक अपराध में दण्डित नहीं की गई है और न ही उसका नाम किसी थाने या न्यायालय के अभियोग में पंजीकृत है। उसका नाम, पूरी उपस्थिति न होने, अनुशासन हीनता के कारण काट दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है वह किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षा इस सत्र में नहीं दे रही है उपरोक्त किसी भी तथ्य के असत्य होने पर मैं व्यक्तिगत जिम्मेदार माना जाऊंगा।

छात्रा का नाम
मो. नं.

अभिभावक का नाम
हस्ताक्षर
मो. नं.

प्रवेश समिति की संस्तुति

अस्थायी प्रवेश हेतु संस्तुति

प्रवेश स्वीकृत/अस्वीकृत

संयोजक – प्रवेश समिति
दिनांक.....

प्राचार्य

नोट : आवेदित कक्षा से पूर्व यदि किसी वर्ष का अन्तराल हो तो स्पष्टीकरण देते हुए नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें। महाविद्यालय के पुरातन छात्र अंकित करें कि पिछली बार कब और किस कक्षा में प्रवेश लिया था – वर्ष..... कक्षा.....

वीराङ्गना महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)

1814

Student Data Entry Form

(छात्रायें इस फार्म में समस्त सूचनाऐं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में साफ–साफ ढंग से भरें)

Class

Subject

Online Registration ID :

< विश्वविद्यालय से प्राप्त >

नाम हाईस्कूल अंक तालिका के अनुसार भरें

Name (Srl/Smt/Km न लगायें)

Cast Category (GEN/OBC/SC/ST)

Sub Cast

Religion

Nationality

State

Date of Birth

Blood Group

D D M M Y E A R

Mother's Name

Father's Name

Address (Permanent)

Address (Local)

छात्राऐं अपना फोन नं०/मोबाइल नं० वही अंकित करें जो चालू हो ।

Phone No./Mobile No. (1)

(2)

E-mail

Voter ID No.

Aadhar No.

Papers (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

B.Com III की छात्रा अपने दो पेपर के सामने क्रम से ऐच्छिक optional लिखें।

हस्ताक्षर प्रवेश प्रभारी

हस्ताक्षर छात्रा